कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर।

एक प्रार्थना–पत्र मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर के अधिवक्तागण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दीवानी न्यायालय,गाजीपुर की न्यायिक कार्यवाही 07–00 बजे पूर्वाह्न से 01–30 बजे अपराह्न तक चल रही है,जबकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर में न्यायिक कार्यवाही 10–00 बजे प्रातः से चलने के कारण अधिवक्तागण को काफी असुविधा हो गयी है। अतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर की न्यायिक कार्यवाही प्रातःकालीन चलाया जाना न्यायसंगत होगा।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिवक्तागण के प्रार्थना–पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:–

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–7356 / मेन (पी) एडमिन. (ए–3); इलाहाबाद दिनांकित 31–05–2019 के अनुक्रम में तथा जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश सं0–100 (XV) दिनांकित 2 मई, 2022 के द्वारा जनपद न्यायालय, गाजीपुर के समस्त न्यायालयों का समय माह मई व जून, 2022 के लिए 07–00 बजे पूर्वाह्न से 01–00 बजे अपराह्न तक तथा मध्यावकाश 10–30 बजे से 11–00 बजे पूर्वाह्न तक निर्धारित किया गया है।

अतः उक्तानुक्रम में वादकारियों,अधिवक्तागण तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर का न्यायालय समय माह मई के दिनांक 06–05–2022 से माह जून, 2022 के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायालय व कार्यालय समय 07–00 बजे पूर्वाह्न से 01–00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया जाता है। प्रातःकालीन अधिकरण के न्यायालय एवं कार्यालय में मध्यावकाश का समय 10–30 बजे से 11–00 बजे पूर्वाह्न तक रहेगा।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों व इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

(राहुल कुमार कात्यायन)
पीठासीन अधिकारी / चेयरमैन,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गाजीपुर।

पत्रांक–641 दिनांकः 05–05–2022 ई0।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
2– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर।
3– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
4– अध्यक्ष / सचिव, समस्त बार संघ, जनपद–गाजीपुर।
5– जिलाधिकारी, गाजीपुर।
6– पुलिस–अधीक्षक, गाजीपुर।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
8– सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर, सिविल कोर्ट, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9– केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

Sd

(राहुल कुमार कात्यायन)
पीठासीन अधिकारी / चेयरमैन,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गाजीपुर।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर